निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 59 / 2022
दायरा दिनांकः–01.06.2022
निर्णय दिनांकः– 24-12-24

उनवान

1. देवनारायण आयु 46 वर्ष आत्मज मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
2. लक्ष्मणसिंह आयु 49 वर्ष आत्मज मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
3. कुसुमबाई आयु 62 वर्ष आत्मजा मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
4. गीताबाई आयु 59 वर्ष आत्मजा मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
5. गुडडीबाई आयु 57 वर्ष आत्मजा मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
6. कौशल्याबाई आयु 55 वर्ष आत्मजा मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
7. मानबाई आयु 52 वर्ष आत्मजा मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली
8. अमरीबाई आयु 88 वर्ष पत्नी स्व. मिश्रीलाल जाति खारवाल निवासी खेडली तहसील छबडा जिला बारां राज

बनाम

1. बृजमोहन खारवाल आयु 52 वर्ष आत्मज रामप्रसाद जाति खारवाल
2. लोकेश खारवाल आयु 25 वर्ष आत्मज अर्जुनसिंह जाति खारवाल
3. मोनू खारवाल आयु 23 वर्ष आत्मज अर्जुनसिंह जाति खारवाल
4. लीलाबाई आयु 50 वर्ष पत्नी अर्जुनसिंह जाति खारवाल निवासीगण खेडली तहसील छबडा जिला बारां राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 24-12-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया – प्रार्थी
2. श्री दिनेश गालव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 8 रकबा 1 बीधा 3 विस्वा वाके ग्राम खेडली तहसील छबडा में अवस्थित है। जिसका शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का प्रार्थीगण वैधानिक अधिकारी है। उक्त आराजी का इन्द्राज भू–अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न प्रा. पत्र पत्र प्रस्तुत है । प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा न. 8 से लगवां घांसीलाल खारवाल की भूमि खसरा न. 9 अवस्थित हैं। जिस पर अप्रार्थीगण लीलाबाई पत्नी अर्जुनसिंह व बृजमोहन आ. रामप्रसाद खारवाल निवासी खेडली द्वारा कुछ हिस्से मे कच्चा मकान बना रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक लठठ, गन्डासी लेकर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

र्थीगण की उक्त भूमि खसरा न. 8 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा में अवैध रूप से मकान व उसका रास्ता सीढी जीना बनाने पर आमादा हैं जिसके लिऐ दिनांक 18.5.2022 को प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिमी हिस्से पर एक गढढा नीव नुमा करने का असफल प्रयास किया प्रार्थी देवनारायण के मना करने पर लडाई–झगडे पर आमादा हुऐ व प्रार्थीगण के वहां आने पर हाथ–पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी दी। अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य की रिपोट थाना कवाई में दिनांक 18. 5.2022 को प्रार्थी देवनारायण द्वारा प्रस्तुत थाना कवाई में रिपोट करने पर थाने से कानि. मौके पर गए थे जिन्होने उक्त लोगो को मौखिक रूप से पाबन्द किया था परन्तु उसके बाद दिनांक 25.5. 2022 को प्रार्थीगण के खेत की सुरक्षा हेतु लगायी गयी तार फैन्सीग को अप्रार्थीगण लीलाबाई लोकेश व मोनू द्वारा जबरन लठठ, गन्डासी लेकर तार फैन्सीग तोडकर हटा दी प्रार्थीगण के मना करने पर प्रार्थीगण को जान से मारने व खेत पर आने पर हाथ पैर काटने व झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी दी। जिससे प्रार्थीगण को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर सकते है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान बना लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव होगी तथा प्रार्थीगण को अकारण कई मुकदमों में उलझना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वैधानिक अधिकारी है।अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक प्रार्थीगण की भूमि की व उसकी सीमा पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान नहीं बनाने बाबत प्रार्थीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा ।वाद कारण दिनांक 18.5.2022 को प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिमी हिस्से पर एक गढढा नीव नुमा करने का असफल प्रयास किया प्रार्थी देवनारायण के मना करने पर लडाई–झगडे पर आमादा हुऐ व प्रार्थीगण के वहां आने पर हाथ–पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074–77 खाता संख्या पुराना 40 पेश कि गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्राथीगर्ण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराया गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 8 से लगवा घांसीलाल खरवाल की भूमि खसरा नम्बर 9 स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण कुछ हिस्से में कच्चा मकान बना रखा है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 8 में अवैध रूप से मकान व उसका रास्ता सीढी झीना बनाने पर आमादा है प्रार्थी की भूमि के पश्चिमी हिस्से पर गढ्ढा नींव खोदने का प्रयास किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बना लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगणका कथन है कि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.03 बीघा पर प्राथीगण का कभी कब्जा नही रहा है अप्रार्थीगण का पुश्तैनी मकान उसके बाप दादाओं के समय से अपनी जगह मे बना हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थीगण ने कभी काश्त नही की है प्रार्थीगण द्वारा मन गढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। अप्रार्थी का पुराना मकान है अभी कोई मकान निर्माण नही किया है प्रार्थीगण को कोई अपरिमित क्षति नही हो रही है यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तों प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074–77 में मिश्रीलाल पुत्र राधाकिशन 1/2 लाडबाई पत्नि चिंरोजीलाल,गमाबाई, पुत्री जवाहरलाल हिस्सा 1/2 जाति खारवाल दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 314 दिनांक 7.09.2021 से जर्ये विरासत मृतक मिश्रीलाल के स्थान पर लक्ष्मण सिंह, देवनारायण पुत्र मिश्रीलाल, कुसुमबाई, गीता बाई, गुड्डी बाई, कोशल्या बाई, मानबाई पुत्रिया मिश्रीलाल अमरीबाई, पत्नि मिश्रीलाल का नाम दर्ज हुआ नोट अंकित है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक नही है। वाद बहुलता को रोकन एवं वाद विवाद को रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 8 रकबा 1.03 बीघा पर मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें। तथा प्रार्थीगण को किसी भाग पर किसी प्रकार का निर्माण नही करें ऐसा कृत्या ना तों स्वंय करें ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)